राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

पंचायती राज संस्थाएँ — जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन

निर्वाचन वर्ष 2026

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव 2026

मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम



मत पेटी



ग्राम पंचायत भवन



स्याही चिन्ह

प्रस्तुति — मनीष कुमार गोयल

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

जिला परिषद सदस्य का चुनाव



मतदान इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों से

पंचायत समिति सदस्य



मतदान इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों से

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

मतदान दलो की रवानगी के समय किये जाने वाले कार्य


1 -मतदान दल के सदस्यो से अपना परिचय प्राप्त करना
2-मतदान दल को एकजुट करना
3-मतदान से संबन्धित सभी सामाग्री को एकत्रित करना
4-सम्पूर्ण मतदान दल को मतदान केंद्र की जानकारी देना

5-निर्धारित मार्ग एवं निर्धारित बस द्वारा मतदान स्थल को रवानगी

मतदान बूथ के लिये प्रस्थान करने से पूर्व जांच

मतदान मशीन की जांच

मतदान के लिए प्राप्त मशीन को निम्नानुसार विशेष रूप से जांच कर लें

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटें) वही है जो अपके मतदान बूथ पर उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। इसकी पुष्टि मतदान मशीन पर लगें एड्रेस टैग से जांच कर की जानी चाहिये

मतदान मशीन की जांच यदि (M-3) EVM हो

जिला परिषद सदस्य (मतदान मशीन की जांच)

पीले रंग का स्टीकर

जिला परिषद सदस्य की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा, जिस पर पहचान हेतु पीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर पीले रंग का स्टीकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्क्रीन के अंदर पीले रंग का मतपत्र होगा और कन्ट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के बाहरी कवर पर पीले रंग का स्टीकर चिपकाया हुआ होगा।

मतदान मशीन की जांच यदि (M-3) EVM हो

पंचायत समिति सदस्य (मतदान मशीन की जांच)

नीले रंग का स्टीकर

कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा जिस पर पहचान हेतु नीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर नीले रंग का स्टीकर चिपका होगा। बैलेट यूनिट की स्कीन के अंदर नीले रंग का मतपत्र होगा और कन्ट्रोल यूनिट के कैण्डसेट सैक्शन के बाहरी कवर पर नीले रंग का स्टीकर चिपकाया हुआ होगा।

मतदान मशीन की जांच यदि (MPSV/MPMV) EVM हो

जिला परिषद / पंचायत सदस्य (मतदान मशीन की जांच)

पीले रंग का स्टीकर

जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य की एक ही **CU** होगी। कन्ट्रोल यूनिट के कैण्डेट सैक्शन के बाहरी कवर पर पीले व नीले दोनों रंग के एड्रस टैग होगें तथा इन एड्रस टेगों के पीछे **SDMM** का नम्बर अंकित होगा तथा इनके आगे सम्बधित बूथ की जानकारी होगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर स्टिकर

क्रस	पद का नाम	यदि चुनाव मतपेटी/मशीन से हो तो–	स्टिकर का प्रकार
1	पंचायत में पंच, सरपंच का चुनाव	मतपेटी से होने पर	कोई स्टिकर नहीं
2	पंचायत समिति/ जिला परिषद् सदस्य का चुनाव	MPSV मॉडल की मशीनें की एक ही मशीन प्रयुक्त हो तो	कोई स्टिकर नहीं
3	पंचायत समिति/ जिला परिषद् सदस्य का चुनाव	M-3 मॉडल की मशीनें प्रयोग अलग–अलग मशीन प्रयुक्त को तो	पंचायत समीति सदस्य के लिए नीला तथा / जिला परिषद सदस्य हेतु पीला स्टिकर

Manish Kumar Goyal 9928012538

मतदान मशीन की जांच

1

मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटें) वही है जो अपके मतदान बूथ पर उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। इसकी पुष्टि मतदान मशीन पर लगें एड्रेस टैग से जांच कर की जानी चाहिये

2

- जिला परिषद् सदस्य की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा, जिस पर पहचान हेतु पीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर पीले रंग का स्टीकर चिपका होगा।
- पंचायत समिति सदस्य की कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट का सैट पृथक होगा जिस पर पहचान हेतु नीले रंग का एड्रेस टैग व इनके कैरिंग बक्सों पर नीले रंग का स्टीकर चिपका होगा।

मतदान मशीन की जांच

नियंत्रण यूनिट का केंड सेट सेक्शन सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया है

और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है।

नियंत्रण यूनिट के **CANDIDATE** सेट सेक्शन मे स्थापित बैटरी पूरी तरह से काम लेने योग्य है। इसके लिए पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को ऑन/ऑफ कर जांच लें।

अपेक्षित संख्या में मतदान यूनिटें दी गई हैं और मतपत्र उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अंदर सम्यक रूप से लगा दिये गये हैं।

प्रत्येक बैलेट यूनिट के मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स/सैट

अभ्यर्थियों के बटन, जो मतदान यूनिटों पर हैं, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) के बराबर हैं, और शेष बटन मास्क कर दिये गये हैं।

प्रत्येक मतदान यूनिट सही रूप से मुहरबंद कर दी गई है

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

मतदान स्थल पर पहुँचने के पश्चात किए जाने वाले कार्य

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

मतदान केन्द्र की स्थापना

पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर पहुंच कर मतदान हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करेंगे, तथा मॉडल मतदान केन्द्र के ले–आउट के अनुसार मतदान केन्द्र की स्थापना करेंगे।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

यदि MPSV/MPMV मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं

मतदान दल के सदस्य

मतदान अधिकारी Polling Officer

- **(APO-1)** प्रथम सहायक मतदान अधिकारी
- **(APO-2)** द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी
- **(APO-3)** तृतीय सहायक मतदान अधिकारी

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

यदि M-3(A) मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं

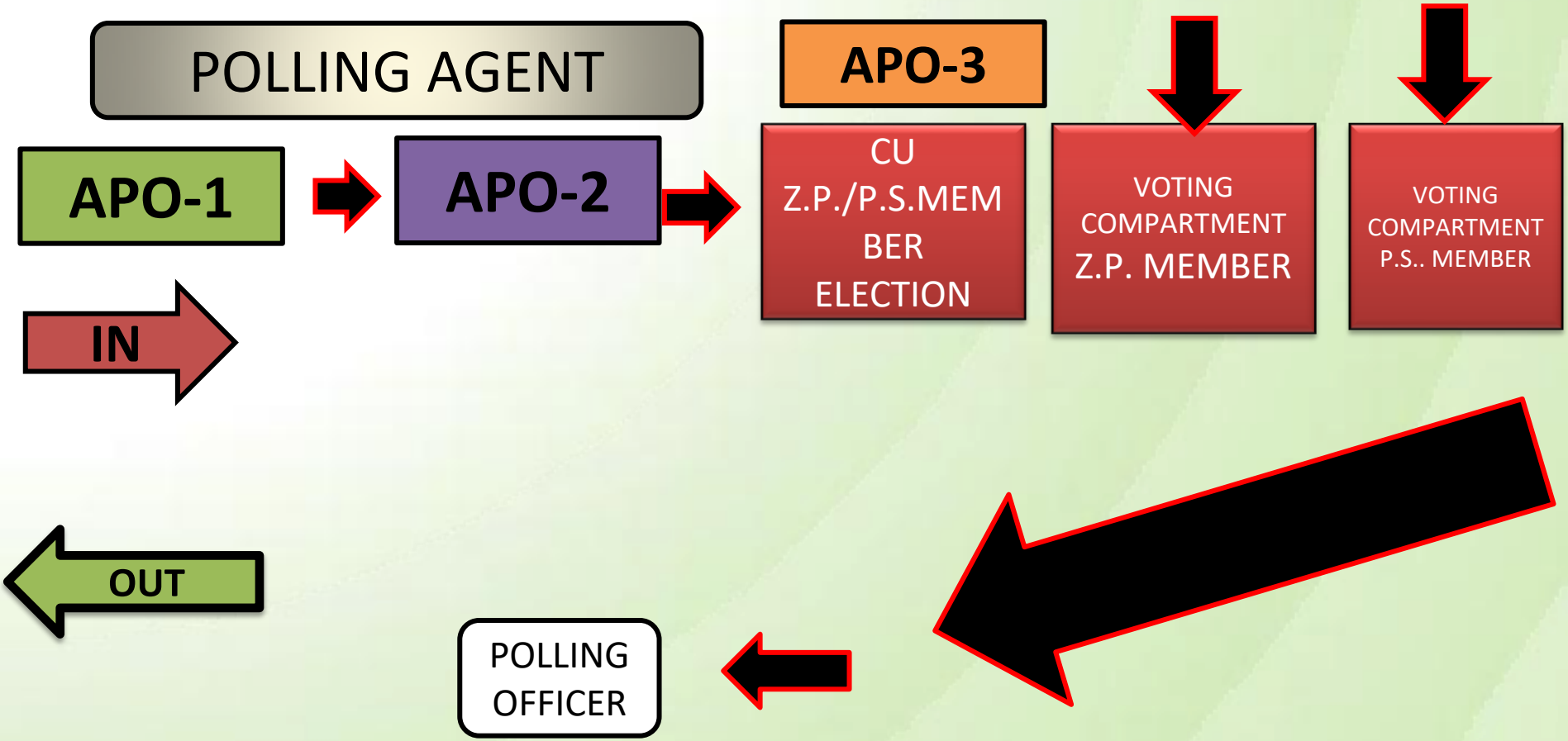
मतदान दल के सदस्य

मतदान अधिकारी Polling Officer

- (APO-1) प्रथम सहायक मतदान अधिकारी
- (APO-2) द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी
- (APO-3) तृतीय सहायक मतदान अधिकारी
- (APO-4) चर्तुथ सहायक मतदान अधिकारी

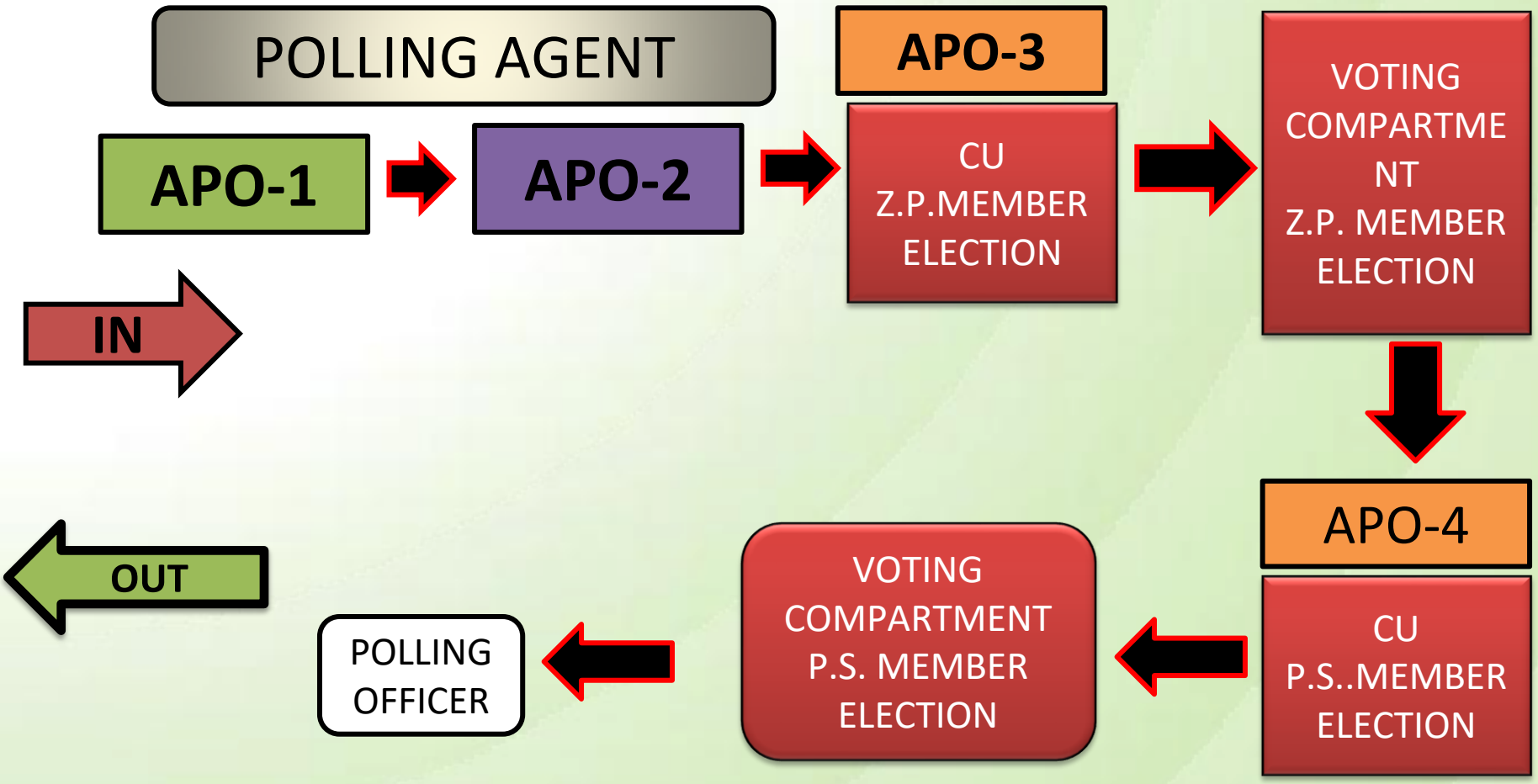
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

BOOTH LAYOUT (For MPSV/MPMV EVM)



जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

BOOTH LAYOUT (For M(3) EVM)



राजस्थान पंचायत चुनाव 2026



मतदान केन्द्र की स्थापना में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु

1

- **BU** एक मेज पर वोटिंग कम्पार्टमेंट में रखी जावें।
- वोटिंग कम्पार्टमेंट व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो।

2

- **BU** से **CU** को जोड़ने वाली केबल मतदाता के चलने में बाधा न डाले व उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े।
- केबल को वोटिंग कम्पार्टमेंट के नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जावे।

3

- यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करें।



4

- वोटिंग मशीन मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के समीप न हो।

5

- मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश व निकास की पृथक व्यवस्था हो (मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों/रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जावे)


मतदान केन्द्र के बाहर
प्रमुख रूप से प्रदर्शित
पोस्टर

1 मतदान केन्द्र से संबधित विभिन्न सुविधाएँ यथा मतदान केन्द्र का नाम, मतदाताओं की संख्या, केन्द्र में सम्मलित क्षेत्र, भवन का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, मोबाइल न., बीएलओ का नाम, मोबाइल न.

2 प्रारूप 5 में निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची

3 मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र पर **Do & DONT'S** की सूची

4 मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु दस्तावेजों की जानकारी । मतदान कैसे किया जाना है का प्रदर्शन

मतदान के पूर्व की आवश्यक तैयारी

आपको मतदान के पूर्व की आवश्यक तैयारी करनी है जिसमें विशेषकर वोटिंग मशीन को तैयार करना और मतदान के दौरान मशीन के सही और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है।

दोनो पदों (जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य) के चुनावों के लिए प्रयुक्त वोटिंग मशीनों के दो पृथक–पृथक सैट हैं, तो विशेष सावधानी रखे कि इनकी कन्ट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट परस्पर मिक्स नहीं हो जायें।

दोनों पदों (जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य) के लिए प्रयुक्त वोटिंग मशीनों से मॉकपॉल कराया जायेगा और यदि किसी स्थिति में मशीन बदली जाती हैं तो बदली गई मशीन से भी मॉकपॉल कराया जायेगा।

मॉकपॉल जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये अलग–अलग करना होगा, तथा मॉकपॉल का अलग–अलग प्रमाण–पत्र तैयार करना होगा।

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

मतदान केन्द्र में प्रवेश-

निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान बूथ मे ं आने की अनुमति नियम 24–क (परिशिष्ट–4) के अन्तर्गत दी जा सकती है :–

1– मतदान अधिकारी,

2– निर्वाचन के संबंध में पुलिस/कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति

4.अभ्यर्थी नियम–68 (परिशिष्ट–4 के अध्याय–10) के अन्तर्गत उनके निर्वाचन अभिकर्ता (जिलापरिषद्/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में)

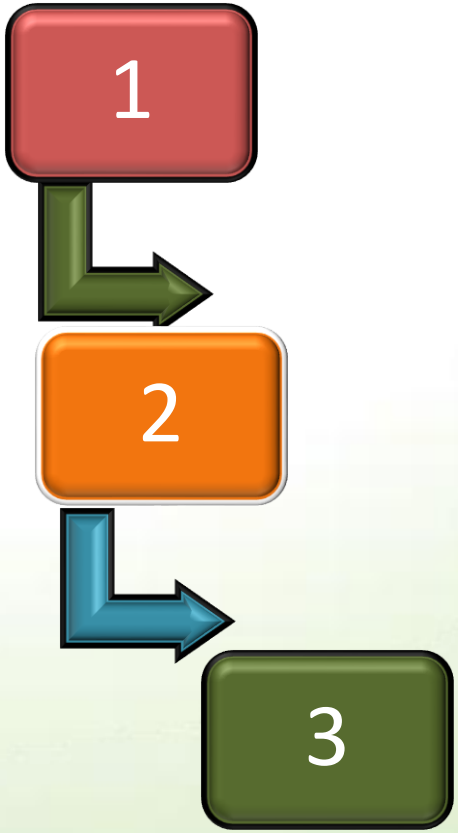
5 किसी मतदाता की गोद का कोई बच्चा,

6.ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय–समय पर मतदाताओं की पहचान करने के लिए बुलायें।.

मतदान बूथ में प्रवेश करने तथा प्रबन्ध का विनियमन

- पहचान सहायक को सामान्यतः मतदान केन्द्र के बाहर रखें; केवल विशेष मतदाता की पहचान के लिए अंदर बुलाएँ।
- मतदान केन्द्र के अंदर किसी को मतदाताओं को प्रभावित/प्रचार करने की अनुमति न दें।
- मतदान अभिकर्ताओं को मतदान शुरू होने से 1 घंटे पहले उपस्थित होने के लिए कहें।
- देर से आने वाले मतदान अभिकर्ता को भी प्रवेश देकर कार्य में शामिल करें; प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की आवश्यकता नहीं।
- मतदान अभिकर्ता को प्ररूप–9 प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दें।
- अधिकृत मतदान अभिकर्ता को बैज दें, जिसे लगाकर वह मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सके।
- अधिकृत मीडिया कर्मी को भी मतदाता के वोट रिकॉर्ड करते समय फोटो लेने की अनुमति नहीं दें और कैमरा/वीडियो/मोबाइल अंदर न लाने दें। मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं की लाइन की फोटो ली जा सकती है।
- राजनीतिक नेताओं/अभ्यर्थियों के नाम, फोटो या चुनाव–चिह्न वाले बैज/प्रतीक वाले व्यक्ति को मतदान केन्द्र के अंदर अथवा 100 मीटर की सीमा में अनुमति न दें।
- चुनाव ड्यूटी के संदर्भ में "लोकसेवक" में सामान्य पुलिस अधिकारी स्वतः शामिल नहीं है, जब तक कानून–व्यवस्था या किसी अन्य उद्देश्य से उन्हें बुलाने का निर्णय न लिया गया हो।

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की प्राथमिकता



1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी
2. मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी
3. निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता

जिला परिषद् / पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन 2026

अभिकर्ताओं का संख्यात्मक चार्ट

क्रम संख्या	निर्वाचन अभिकर्ता / मतदान अभिकर्ता	संख्या
1	निर्वाचन अभिकर्ता	1
2	मतदान अभिकर्ता	1 प्रति मतदान केन्द्र
3	अवमुक्ति अभिकर्ता (Reliever Agent)	0 / कोई पृथक प्रावधान नहीं

नियम आधार

नियम 68 — निर्वाचन अभिकर्ता: 1

नियम 69 — प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 1 मतदान अभिकर्ता; अवमुक्ति अभिकर्ता का पृथक प्रावधान नहीं।

यह चार्ट केवल जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु है।

प्ररूप–9
(नियम 69 देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

*सरपंच, ग्राम पंचायत

*निर्वाचन क्षेत्र सं..... से पंचायत समिति के सदस्य

*पंचायत समिति/जिला परिषद की निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य;

मैं, अभ्यर्थी जो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है, का निर्वाचन अभिकर्ता इसके द्वारा (नाम और पता) को स्थान पर मतदान बूथ सं. में उपस्थित होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

स्थान
तारीख

.....
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को सहमत हूँ।

स्थान
तारीख

.....
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी बात नहीं करूंगा।

.....
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित — गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

मतदाता सूचियाँ

(निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ – Working Copy of Electoral Roll)

एक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नामावली की कुल **3 कार्यकारी प्रतियाँ** प्राप्त होंगी।

क्रम संख्या	कार्यकारी प्रति	किसके पास रहेगी
1	प्रथम प्रति	प्रथम मतदान अधिकारी
2	द्वितीय प्रति	द्वितीय मतदान अधिकारी
3	तृतीय प्रति	पीठासीन अधिकारी

प्रत्येक कार्यकारी सेट में संलग्न होंगे निम्नांकित दस्तावेज

1. एकीकृत मूल मतदाता सूची (Integrated Mother Roll)
2. पूरक सूची-1 (Supplement–1)
3. पूरक सूची-2 (Supplement–2)
4. परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची (केवल क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के लिए)

पूरक सूची-1 में विलोपित मतदाता

पूरक सूची-1 में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें मूल मतदाता सूची में विलोपित करने के संकेत स्वरूप **DELETE** मुद्रित है तथा पूरक सूची-1 में मतदाता की सम्बन्धित प्रविष्टि में क्रम संख्या के साथ उनके विलोपन का कारण यथा ***E* *S* *Q* *R*** तथा **'M'** भी मुद्रित है।

विलोपन के कारणों के कोड

E	S	Q	R	M
Expired (मृत्यु/निधन)	Shifted (स्थानांतरित)	Disqualified (अयोग्य)	Repeat (दोहराव/डुप्लीकेट)	Missing (अनुपलब्ध)

महत्वपूर्ण निर्देश : मतदान दल को केवल मूल मतदाता सूची देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए; Integrated Mother Roll + Supplement–1 + Supplement–2 को साथ रखकर संबंधित मतदाता की प्रविष्टि की जाँच करें।

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

पूरक सूची 1 और पूरक सूची 2

मेरा मत मेरा अधिकार

पूरक सूची 1

- किसी प्रविष्टि की शुद्धि की गई है तो मूल मतदाता सूची में मतदाता के क्रमांक के पहले **# निशान** मुद्रित किया हुआ है ताकि यह ज्ञात हो सके कि मूल मतदाता सूची में जो अंकन है उसे पूरक सूची-1 से शुद्ध किया गया है।
- मूल मतदाता सूची में जहाँ **PHOTO AS IN CORRECTION LIST** मुद्रित है, वहाँ पूरक-1 सूची देखी जाएगी और पूरक-1 सूची की फोटो मान्य होगी।

मूल मतदाता सूची

क्रमांक	नाम	फोटो
101	रामलाल	
#102	सीताराम	
103	मीना देवी	PHOTO AS IN CORRECTION LIST

पूरक सूची 1

क्रमांक	नाम	फोटो
#102	सीताराम	

पूरक सूची-1 की फोटो मान्य होगी

अर्थात् जहाँ "PHOTO AS IN CORRECTION LIST" लिखा है, वहाँ पूरक सूची-1 की फोटो देखें।

पूरक सूची 2

- मूल मतदाता सूची में **लाल स्याही** से किये गये अंकन या **# चिन्ह** औं **रबड़ मोहर** से लगायी गयी मोहर पूरक सूची-2 के आधार पर है।
- मतदाता सूची प्रकाशन के पश्चात् जोड़े गए नये मतदाताओं के नाम इस पूरक सूची 2 में होते है।

मूल मतदाता सूची

क्रमांक	नाम	फोटो
201	मोहल्लाल	
202	कमला देवी	
203	सुरेश कुमार	
204	पूजा कुमारी	

लाल स्याही से अंकन → 202

चिन्ह → 204

मोहर

पूरक सूची 2

क्रमांक	नाम	फोटो
205	अमित यादव	
206	सीमा शर्मा	
207	रवि कुमार	

नये मतदाता (सूची प्रकाशन के पश्चात् जोड़े गए)

लाल स्याही, # चिन्ह और रबड़ मोहर का आधार पूरक सूची-2 है, और नये मतदाताओं के नाम इसी में होते हैं।

सही मतदाता सूची | सही जानकारी | मजबूत लोकतंत्र

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

मेरा मत मेरा अधिकार

निर्वाचक नामावली के उपरोक्त सेट में जिन मतदाताओं के आगे शब्द PB/DELETED है,

उन्हें मतदान केन्द्र में मतदान के लिए अनुमति नहीं होगी।

19 EPIC No : HJ00022574 Name : Hamigapari Husband's Name : Laltumavia House No : 5 Age : 35 Sex : Female	20 EPIC No : HJ00003228 Name : Ramzauva Father's Name : Barthanga House No 6 Age : 39 Sex : Male	21 EPIC No : HJ00003129 Name : Fakzual Husband's Name : Ramzauva House No : 6 Age : 37 Sex : Female	
22 EPIC No : HJ00019471 Name : Lalsanguaa Husband's Name : House No 7 DELETED Age : 86 Sex : Male	23 EPIC No : HJ00022632 Name : Sapmawia Father's Name : House No 7 PB Age : 46 Sex : Male	24 EPIC No : HJ00021042 Name : Ramhingiltang Husband's Name : Sapmavia House No : 7 Age : 41 Sex : Female	
25 EPIC No : HJ00004119 Name : Chuanhapari Husband's Name : Lalanga Rale House No 7 Age : 23 Sex : Female	26 EPIC No : HJ00022867 Name : Labiakdki Father's Name : Sapmawia DELETED House No 7 Age : 19 Sex : Female	27 EPIC No : HJ00019364 Name : Latanpua Ralle Father's Name : Lallianhanga House No : 7 Age : 31 Sex : Male	
28 EPIC No : HJ00000182 Name : Father's Name : Farawra Thaa (L) House No 8 Age : 74 Sex : Male	29 EPIC No : HJ00003667 Name : Zothanpuii Husband's Name : L.Rama PB House No 8 Age : 31 Sex : Female	30 EPIC No : HJ00019364 Name : Lahnuna Pachuaa Hather's Name : L.Sangluaa House No 9 Age : 44 Sex : Male	

NE - Age as on 01.01.2006 # - Corrected as per Supplement Page No 2 of 44



ऐसे मतदाता जिनके नाम के आगे DELETED / PB लिखा है उन्हें मतदान केन्द्र पर मतदान देने नहीं दिया जाएगा।

सही मतदाता सूची । सही जानकारी । निष्पक्ष चुनाव

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

चुनाव में उम्मीदवार की मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

मेरा मत मेरा अधिकार

चुनाव शुरू होने से पहले किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मौत होने पर चुनाव रद्द नहीं किया जाएगा!

1



लेकिन अगर किसी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मौत के कारण सिर्फ एक ही उम्मीदवार बचता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार की मौत की बात से संतुष्ट होने पर चुनाव रद्द कर देगा और जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत) के ज़रिए आयोग को इसकी जानकारी देगा।

2



इसके बाद चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ वैसे ही फिर से शुरू की जाएँगी जैसे किसी नए चुनाव के लिए की जाती हैं, और ये प्रक्रियाएँ यहाँ दिए गए नियमों के अनुसार होंगी।

3



अगर चुनाव रद्द होने के समय कोई व्यक्ति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा था, तो उसे **दोबारा नॉमिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी**; और

4



जिस व्यक्ति ने चुनाव रद्द होने से पहले सब-रूल (1) या रूल 73 के तहत अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का नोटिस दिया था, वह चुनाव रद्द होने के बाद दोबारा उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेट होने के लिए अयोग्य नहीं होगा।

सही मतदाता सूची | सही जानकारी | निष्पक्ष चुनाव

मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (ELECTION) RULES 1994 Rule 73

मतदान दल के सदस्यों में कार्य विभाजन

मतदान अधिकारी के कर्तव्य

1. मतदाताओं द्वारा मत देने की समुचित व्यवस्था करना। इनकी देख रेख व निगरानी में प्रत्येक पोलिंग बूथ में मतदान होगा।
2. अन्धे तथा अपाहिज मतदाताओं को उनकी इच्छानुसार मत अंकित करने में सहायता करना,
3. अपने बूथ में टेन्डर मतपत्र द्वारा मतदान एवं चैलेन्ज मतों के मामलों को तय करना,
4. उम्मीदवारों द्वारा चेलेन्ज किये गये मतदाताओं के मामलों को निपटाना,

प्रथम सहायक मतदान अधिकारी



2026

1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विर्निदिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान।
2. चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।
4. मतदाता की पहचान हो जाने पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टि के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा जिससे द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग एजेन्ट सुन सकें।

प्रथम सहायक मतदान अधिकारी



2026

पहचान हो जाने के तुरन्त बाद यह अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा।

महिला मतदाता के नाम के बायीं तरफ टिक (√) लगायेगा।

थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित के बायीं तरफ स्टार (*) लगायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र से की जाये उसके नाम के आगे 'E' शब्द लिखे।

दृष्टिबाधित/दिव्यांगमतदाताओं के मामले में मतदाता की क्रम संख्या पर 'AA' भी अंकित कर दें।

प्रथम सहायक मतदान अधिकारी



2026

मतदान बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्त्ता/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्त्ता यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते है बाद में नही।

मतदान के अंत में गिनकर यह पता लगाया जा सके कि कुल कितने पुरूष मतदाताओं, कितने स्त्री मतदाताओं तथा कितने थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं ने मत दिये।

मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रकार के अंकनों के आधार पर गणना कर सूचना एकत्र की जायेगी, जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी तथा **Form of Statistics** में अंकित किया जायेगा।

विशेष

मत रिकार्ड करने की अनुमति से पूर्व निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर (प्ररूप–12) में करवा लेनी चाहिये। यदि कोई निर्वाचक मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

पीढासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका के अध्याय 3 पेज नं.12 बिन्दु संख्या 19 के अनुसार

द्वितिय सहायक मतदान अधिकारी



2026



इसके पास मतदाता रजिस्टर होगा।



मतदाता पर्चियॉ जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा हैं उसके अनुसार

अलग–अलग रंग की होगी –



अमिट स्याही का भार साधक होगा।

द्वितिय सहायक मतदान अधिकारी



मतदाता पर्चियॉ जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा हैं उसके अनुसार अलग–अलग रंग की होगी –

(1) जिला परिषद के लिये पीले (Yello) रंग की।

(2) पंचायत समिति सदस्य के लिये नीले (Blue)रंग की।

द्वितिय सहायक मतदान अधिकारी



2026

मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट स्याही का चिन्ह तो नहीं है

मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जायेगी जो क्रम संख्या-1 से प्रारंभ होगी। मतदान अधिकारी कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्यायें अंकित कर लें।

रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता की मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह लिखी जायेगी।

पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्तियां (REMARKS) वाले कॉलम 4 में लिखे जायेंगे।

द्वितिय सहायक मतदान अधिकारी



1

मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ कॉलम अभियुक्तियों (यदि कोई हो) की पूर्ति हो जाने के पश्चात साक्षर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में प्राप्त करेगा। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिये।

2

मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बायें अंगूठे की छाप लगायी जावेगी। यदि बायें हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ के अंगूठे की छाप लगाई जायेगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बायें हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगायी जायेगी। यदि बायें हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो दायें हाथ की अंगुली जो तर्जनी से प्रारम्भ हो की छाप लगाई जायेगी।

3

अब मतदाता तृतीय सहायक मतदान अधिकारी (जो ईवीएम का प्रभारी होगा) के पास जायेंगा

मतदाता रजिस्टर

प्ररूप–12

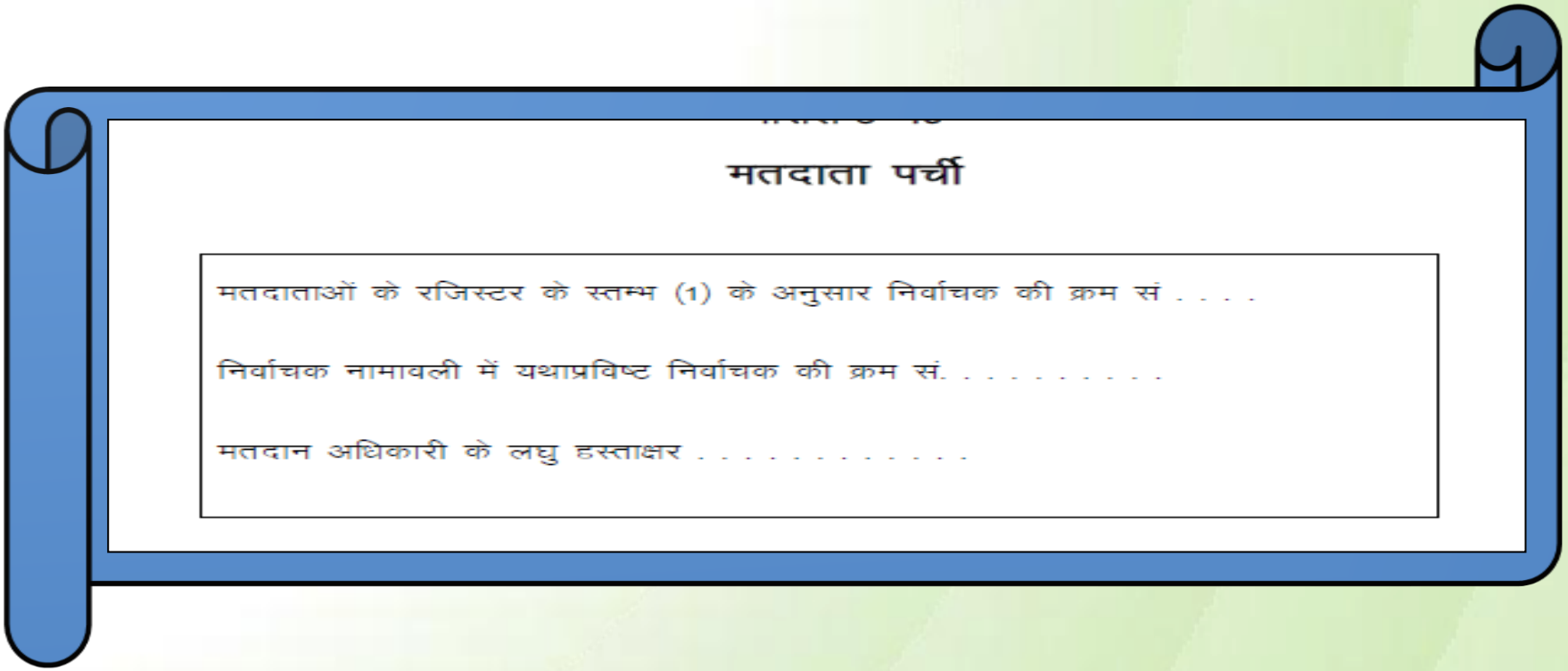
(नियम 40क देखिए)

मतदाता रजिस्टर

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त के लिए निर्वाचन।
निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या जिला परिषद/
मतदान बूथ की संख्या व नाम.....

क्र.स	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी	अभ्युक्तियां
1			
2			
3			
4			

पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर



मतदाता पर्ची

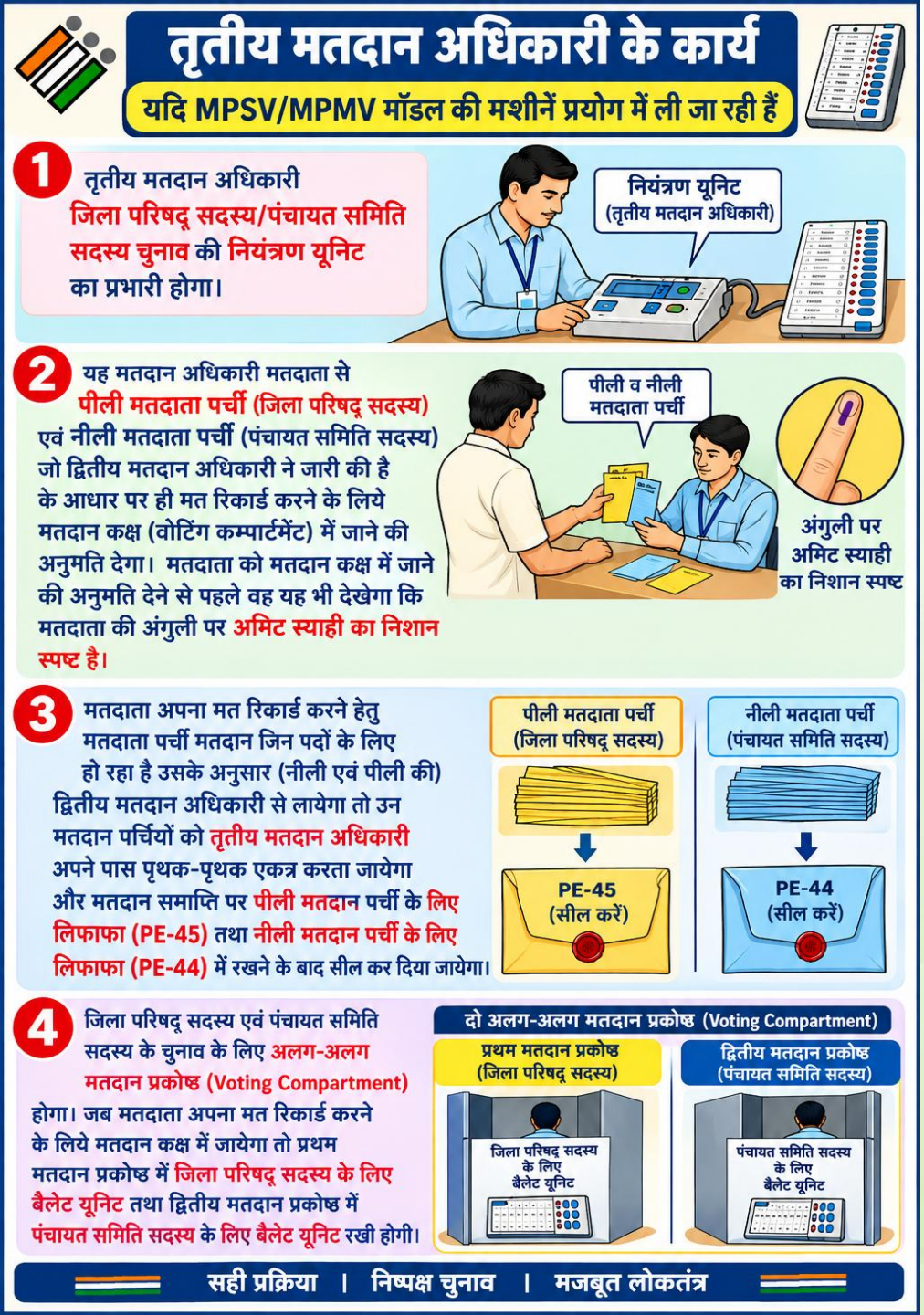
मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं.

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिए पीली मतदाता पर्ची

पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिय नीली मतदाता पर्ची प्रयोग में ली जायेंगी।



तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य (MPSV/MPMV मॉडल की मशीनों के प्रयोग की स्थिति में)

1- तृतीय मतदान अधिकारी **जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी** होगा। वह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी **पीली मतदाता पर्ची (जिला परिषद् सदस्य)** एवं **नीली मतदाता पर्ची (पंचायत समिति सदस्य)** के आधार पर ही मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में जाने की अनुमति देगा तथा **अमिट स्याही का निशान** स्पष्ट होने की जाँच करेगा।

2-वह दोनों प्रकार की पर्चियों को **अलग-अलग एकत्र** करेगा तथा मतदान समाप्ति पर पीली पर्चियों को **लिफाफा PE-45** और नीली पर्चियों को **लिफाफा PE-44** में रखकर सील करेगा।

तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य (MPSV/MPMV मॉडल की मशीनों के प्रयोग की स्थिति में)

तृतीय/चतुर्थ मतदान अधिकारी

यदि M-3 मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य

मेरा मत मेरा अधिकार

यदि M-3 मॉडल की मशीनें प्रयोग में ली जा रही हैं तो तृतीय मतदान अधिकारी जिला परिषद सदस्य चुनाव की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा।

1 यह मतदान अधिकारी मतदाता से पीली मतदाता पर्ची, जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।



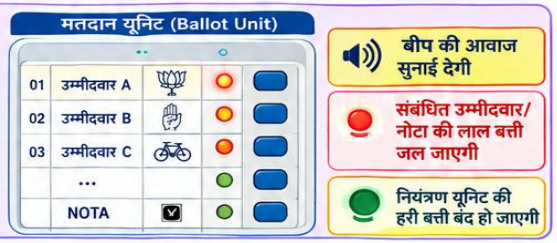
2 मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु पीली मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास से एकत्र करता जायेगा और मतदान समाप्ति पर पीली पर्ची लिफाफा (PE-45) में रखने के बाद सील कर दिया जायेगा।



3 जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा, जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।



4 मतदात कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबायेगा तब संबंधित उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के ऊपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी।



5 कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और संबंधित मतदान यूनिट में संबंधित उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तीयों के बन्द होने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है।



6 इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा और मतदाता चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास जायेगा।

सही मतदाता सूची । सही जानकारी । निष्पक्ष चुनाव

तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य
(M-3 मॉडल मशीनों के प्रयोग की स्थिति में)

1-**नियंत्रण इकाई प्रभारी**: जिला परिषद् सदस्य चुनाव की **Control Unit** का प्रभारी होगा।

2-**मतदाता की जाँच**: द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी **पीली मतदाता पर्ची** के आधार पर ही मतदान कक्ष में जाने देगा तथा **अमिट स्याही** का निशान स्पष्ट देखेगा।

3-**पीली पर्ची संग्रह**: पीली पर्चियाँ एकत्र कर मतदान समाप्ति पर **लिफाफा PE-45** में रखकर सील करेगा।

4-Ballot Button: मतदाता के मतदान कक्ष में जाने पर Control Unit का **Ballot Button** दबाएगा—**Busy लाल** तथा Ballot Unit की **Ready हरी** बत्ती जलेगी।

5-मत रिकॉर्ड होना: मतदाता उम्मीदवार/चुनाव चिन्ह अथवा **NOTA** का बटन दबाएगा। संबंधित **लाल Lamp** जलेगा और **बीप** की आवाज आएगी।

6- मतदान पूर्ण होने की पुष्टि: बीप बंद होने तथा संबंधित Lamp और **Busy लाल बत्ती** बंद होने पर मत रिकॉर्ड होना सुनिश्चित होगा।

7-इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आकर **चतुर्थ मतदान अधिकारी** के पास जाएगा।

तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य
M-3 मॉडल मशीनों के प्रयोग की स्थिति में)

भारत निर्वाचन आयोग

चतुर्थ मतदान अधिकारी के कार्य

मेरा वोट
मेरा अधिकार

1 चतुर्थ मतदान अधिकारी पंचायत समिति सदस्य मतदान मशीन की **नियंत्रण यूनिट** का प्रभारी होगा।



2 यह मतदान अधिकारी मतदाता से **नीली मतदाता पर्ची**, जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा।



मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की अंगुली पर **अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।**



अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट

3 मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को चतुर्थ मतदान अधिकारी अपने पास एकत्र करता जायेगा और मतदान समाप्ति पर **नीली पर्ची लिफाफा (PE-44)** में रखने के बाद **सील** कर दिया जायेगा।



सही प्रक्रिया | पारदर्शी मतदान | मजबूत लोकतंत्र

चतुर्थ मतदान अधिकारी के कार्य
(M-3 मॉडल मशीनों के प्रयोग की स्थिति में)

1-**नियंत्रण इकाई प्रभारी: पंचायत समिति सदस्य** चुनाव की **Control Unit** का प्रभारी होगा।

2-**मतदाता की जाँच**: द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी **नीली मतदाता पर्ची** के आधार पर ही मतदान कक्ष में जाने देगा तथा **अमिट स्याही** का निशान स्पष्ट देखेगा।

3-**नीली पर्ची संग्रह**: पीली पर्चियाँ एकत्र कर मतदान समाप्ति पर **लिफाफा PE-44** में रखकर सील करेगा।

4-Ballot Button: मतदाता के मतदान कक्ष में जाने पर Control Unit का **Ballot Button** दबाएगा—**Busy लाल** तथा Ballot Unit की **Ready हरी** बत्ती जलेगी।

5-मत रिकॉर्ड होना: मतदाता उम्मीदवार/चुनाव चिन्ह अथवा **NOTA** का बटन दबाएगा। संबंधित **लाल Lamp** जलेगा और **बीप** की आवाज आएगी।

6- मतदान पूर्ण होने की पुष्टि: बीप बंद होने तथा संबंधित Lamp और **Busy लाल बत्ती** बंद होने पर मत रिकॉर्ड होना सुनिश्चित होगा।

7- मतदाता द्वारा लाई गई नीली पर्चियों को चतुर्थ मतदान अधिकारी अपने पास एकत्र करता रहेगा तथा मतदान समाप्ति के बाद सभी पर्चियों को **नीली पर्ची लिफाफा (PE-44)** में रखकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **सील** करेगा।

चतुर्थ मतदान अधिकारी के कार्य
M-3 मॉडल मशीनों के प्रयोग की स्थिति में)

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान

MOCK POLL
प्रक्रिया
जिला परिषद/पंचायत समिति चुनाव 2026

सही तैयारी
सही मतदान
मजबूत लोकतंत्र

मतदान से पहले मशीन की जॉच, पारदर्शिता का है प्रमाण

MOCK POLL क्या है ?

MOCK POLL वह प्रक्रिया है जिसमें मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्रत्याशियों/मतदान एजेंटों की उपस्थिति में मशीनों की कार्यक्षमता, बैलेट यूनिट, नियंत्रण यूनिट तथा परिणाम की सही प्रविष्टि की जॉच की जाती है।

MOCK POLL की प्रमुख प्रक्रिया

1 प्रारम्भिक तैयारी

- मतदान अधिकारियों द्वारा मशीनों की भौतिक जॉच करें।
- बैलेट यूनिट, नियंत्रण यूनिट, मतपत्र/मतदान पर्ची तथा अन्य उपकरणों की स्थिति सुनिश्चित करें।
- प्रत्याशी/मतदान एजेंटों की उपस्थिति में इसे प्रारम्भ करें।



2 मतदान प्रारम्भ

- निधरित 5-10 मतदाताओं द्वारा मॉक पोल कराया जाए
- सभी को उनके मत डालने की अनुमति दें।



मतदान की प्रत्येक प्रक्रिया की जॉच करें

3 परिणाम की जॉच

- मॉक पोल के बाद नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित मतों की संख्या की पुष्टि करें।
- मशीन में प्रदर्शित परिणाम की संख्या को मतदान पर्ची/रजिस्टर से मिलान करें।



कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित परिणाम की पुष्टि करें

4 रिकॉर्ड बनाना

- मॉक पोल की कुल मत संख्या एवं परिणाम का उल्लेख निधरित प्रपत्र में करें।
- सभी मतदान एजेंटों से हस्ताक्षर कराएं।



5 अंतिम पुष्टि

- मॉक पोल सफल होने पर मशीनों को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करें।
- सभी अधिकारियों/एजेंटों को परिणाम से अवगत कराएं।



अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार

याद रखें

- ☑ मॉक पोल के समय सभी प्रत्याशी/मतदान एजेंट उपस्थित रहें।
- ☑ किसी भी संदेह की स्थिति में तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करें।
- ☑ मशीन की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता ही चुनाव की सफलता है।

पारदर्शी प्रक्रिया = निष्पक्ष चुनाव

जिला परिषद/पंचायत समिति चुनाव 2026

मेरा वोट
मेरा अधिकार

MOCK POLL
प्रक्रिया
जिला परिषद/पंचायत समिति चुनाव 2026

MOCK POLL प्रक्रिया

जिला परिषद/पंचायत समिति चुनाव 2026

सही प्रक्रिया
सही परिणाम

1 समय एवं उपस्थिति

- पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने से **1 घंटे** पूर्व Mock Poll कराया जाएगा।
- यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक अभिकर्ता उपस्थित है, तो अन्य अभिकर्ताओं के लिए **15 मिनट** प्रतीक्षा की जाएगी।
- Mock Poll के बाद निर्धारित प्रमाण-पत्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे।



मतदान अभिकर्ता उपस्थित न होने पर 15 मिनट प्रतीक्षा



उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

2 Mock Poll पर्चियाँ

- जिला परिषद् सदस्य के लिए **पीली मतदाता पर्ची**
- तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए **नीली** मतदाता पर्ची जारी की जाएगी।
- दोनों पर्चियों को अलग-अलग एकत्र करके Mock Poll मतदाता को दोनों पदों के लिए एक-एक मत डालने दिया जाएगा।



दोनों पर्चियां अलग-अलग एकत्र करें

3 Mock Poll संचालन

- CU पर **BALLOT** बटन दबाकर मतदान प्रारम्भ करें।
- Mock Poll मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मत देने दें।
- प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों का लेखा **परिशिष्ट-19** के अनुसार अलग-अलग तैयार करें।
- प्रत्येक उम्मीदवार (**NOTA** सहित) कम-से-कम 1 मत प्राप्त करे। समान मत देना आवश्थक नहीं है।





4 परिणाम का मिलान

- Mock Poll समापत होने पर CU का **CLOSE** बटन दबाएं।
- CU पर प्रदर्शित परिणाम का परिशिष्ट-19 में तैयार लेखे से मिलान एवं पुष्टि करें।
- अभ्यर्धियों/मतदान अभिकर्ताओं को परिणाम दिखाएं।



परिणाम की पुष्टि करें

5 CLEAR करना अनिवार्य

- परिणाम की पुष्टि के बाद **CLEAR** बटन दबाकर सभी मतों एवं मतों की संख्या को शून्य करें।
- डिस्प्ले पर **END** प्रदर्शित होने के बाद CU बंद करें।



सभी मत सून्य (Zero) हो जाएँगे

6 महत्वपूर्ण सावधानियाँ

- ☑ Mock Poll के मतों को CLEAR करना अनिवार्य है।
- ☑ परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच OFF करना न भूलें।
- ☑ मतदान के दौरान पूरा मशीन सेट बदलने की स्थिति में भी Mock Poll प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

सतर्क अधिकारी सही चुनाव

जिला परिषद / पंचायत समिति चुनाव 2026

निर्वाचन प्रक्रिया | पारदर्शिता | निष्पक्षता

MOCK POLL प्रक्रिया

जिला परिषद् / पंचायत समिति चुनाव 2026

1. समय एवं उपस्थिति

- पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ होने से 1 घंटे पूर्व **Mock Poll** कराया जाएगा। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है अथवा केवल एक अभिकर्ता उपस्थित है, तो अन्य अभिकर्ताओं के लिए 15 मिनट प्रतीक्षा की जाएगी।
- **Mock Poll** के बाद निर्धारित प्रमाण–पत्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

2. Mock Poll पर्चियाँ

- जिला परिषद् सदस्य हेतु पीली तथा पंचायत समिति सदस्य हेतु नीली मतदाता पर्ची जारी की जाएगी।
- दोनों पर्चियों को अलग–अलग एकत्र कर **Mock Poll** मतदाता को दोनों पदों के लिए एक–एक मत डालने दिया जाएगा।

MOCK POLL प्रक्रिया

जिला परिषद् / पंचायत समिति चुनाव 2026

3. Mock Poll संचालन

- CU पर **BALLOT** बटन दबाकर मतदान प्रारम्भ करें।
- **Mock Poll** मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मत देने दें।
- प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त **Mock Poll** मतों का लेखा परिशिष्ट–19 के अनुसार अलग–अलग तैयार करें।
- प्रत्येक उम्मीदवार, **NOTA** सहित, कम–से–कम 1 मत प्राप्त करे। प्रत्येक
- उम्मीदवार को समान मत देना आवश्यक नहीं है।

4. परिणाम का मिलान

- **Mock Poll** समाप्त होने पर **CU** का **CLOSE** बटन दबाएं।
- **CU** पर प्रदर्शित परिणाम का परिशिष्ट–19 में तैयार लेखे से मिलान एवं पुष्टि करें और अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को परिणाम दिखाएं।

5. CLEAR करना अनिवार्य

परिणाम की पुष्टि के बाद **CLEAR** बटन दबाकर **Mock Poll** के सभी मतों एवं मतों की संख्या को शून्य करें।

डिस्प्ले पर **END** प्रदर्शित होने के बाद **CU** बंद **(Power Off)** करें।

MOCK POLL प्रक्रिया

जिला परिषद् / पंचायत समिति चुनाव 2026

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

- **Mock Poll** के मतों को **CLEAR** करना अनिवार्य है। परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले **CU** को स्विच **OFF** करना न भूलें।
- मतदान के दौरान पूरा मशीन सेट बदलने की स्थिति में भी **Mock Poll** प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

मॉकपॉल प्रमाण पत्र

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव 2026

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

(परिशिष्ट–19)
प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र
जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य अथवा सरपंच/पंच चुनाव

क.सं	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपॉल वोटर पर्ची कमांक	मतदान किये गये अभ्यर्थी की कम संख्या (जिसको वोट दिया है) जिला परिषद् सदस्य/सरपंच के लिए	मतदान किये गये अभ्यर्थी की कम संख्या (जिसको वोट दिया है) पंचायत समिति सदस्य/पंच के लिए	हस्ताक्षर
1	कैलाश चन्द्र	1	1	1	कैलाश चन्द्र
2	मनोज कंमार	2	2	2	मनोज कंमार
3	मनीष कुमार	3	3	3	मनीष कुमार
4	सन्तोष प्रसाद	4	4	4	सन्तोष प्रसाद
5	अकरम	5	5	5	अकरम

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार मॉकपॉल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कन्ट्रोल यूनिट से **Result-I** बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं हैं।
मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किय गये मतों को **Clear** (डिलीट) कर दिया गया हैं।

विक्रम सिंह शेखावत
(पीठासीन अधिकारी)
हस्ताक्षर

नोटः– दोनों चुनावों के लिए अलग–अलग मॉकपॉल प्रमाण–पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–19) को तैयार कर पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं (परिशिष्ट–7) के साथ संलग्न कर जिला परिषद् सदस्य के लिए लिफाफा नं. **(PE-56)** में तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए लिफाफा नं. **(PE-55)** में तथा इसी प्रकार सरपंच का लिफाफा **(PE-56A)** एवं पचं का लिफाफा **(PE-55A)** रखें। यदि **MPSV** मॉडल की मशीन का उपयोग किया गया है, तो एक ही प्रमाण–पत्र में दोनों चुनावों अर्थात् जिला परिषद् एवं पंचायत समिति अथवा सरपंच एंव पंच का मॉकपॉल विवरण दर्शाया जायेगा।

मॉकपोल प्रमाण पत्र जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य हेतु प्रयुक्त दोनों मशीन हेतु अलग अलग तैयार करना है।

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना



पिंक पेपर सील की फिक्सिंग

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिंक पेपर सील द्वारा सील करना

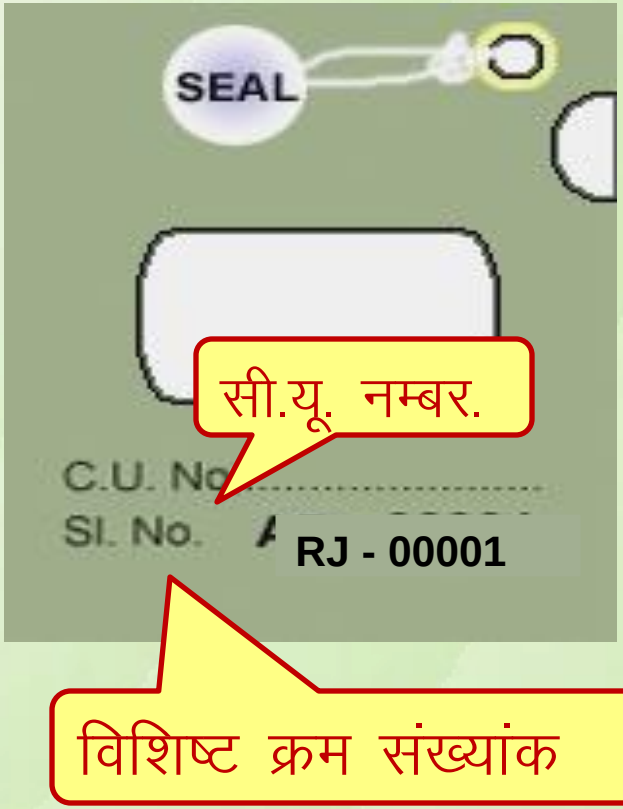


पिंक पेपर सील से **Result Section** के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को सील करना

स्पेशल टैग

- कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है।
- प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रम संख्यांक सामने की तरफ नीचे अंकित है जो 00001 से 99999 हो सकते हैं। राज्य का कोड (आर.जे. –राजस्थान) क्रम संख्यांक के आगे लिखा होगा।
- स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ताओं को नोट करने दें।
- सी.यू. नम्बर.....क्रम संख्यांक के उपर छपा है, जहाँ पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर स्पेशल टैग पर लिखेगा।**टैग के पिछले भाग पर मतदान अधिकारी एवं अभ्यर्थी/ मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर मौजूद है, हस्ताक्षर करेगें।**

स्पेशल टैग के सामने का भाग



क्लोज बटन पर सील्ड स्पेशल टैग को रखना

- परिणाम खण्ड को सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे।
- सीलिंग के पश्चात् स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दे।
- क्लोज बटन स्पेशल टैग के कटे हुये भाग से दिखना चाहिये।



RESULT SECTION के बाहरी आवरण को बंद करना

इस अनुभाग को सील करने के लिए **RESULT SECTION** के बाहरी ढ़क्कन को दबा कर बंद करें। बाहरी आवरण को दबाने के बाद **RESULT** कवर के बाहरी आवरण के बाइ± ओर दिए गए दो छिद्रों के माध्यम से धागा निकाल कर एवं एड्रेस टैंग पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ सील किया जाना चाहिए।



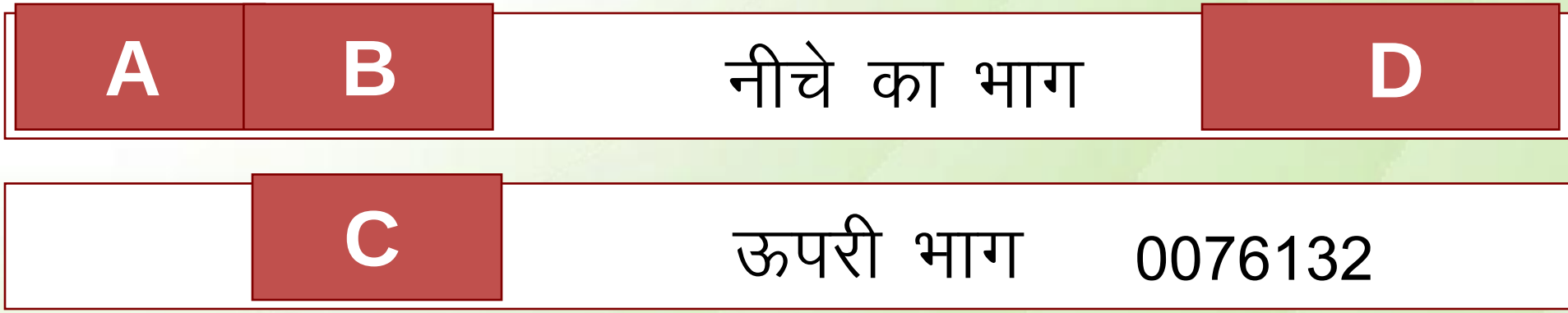
पिंक पेपर सील और एबीसीडी स्ट्रिप सील करने की प्रक्रिया

अब पिंक पेपर सील एवं **ABCD** हिस्सों को चिपकाने के लिए स्वयं चिपकने वाली **ABCD** लंबी पेपर पट्टी सील का उपयोग करें। स्ट्रिप सील को प्रयोग में लेने से पूर्व सील की क्र.सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाए।



स्ट्रिप सील

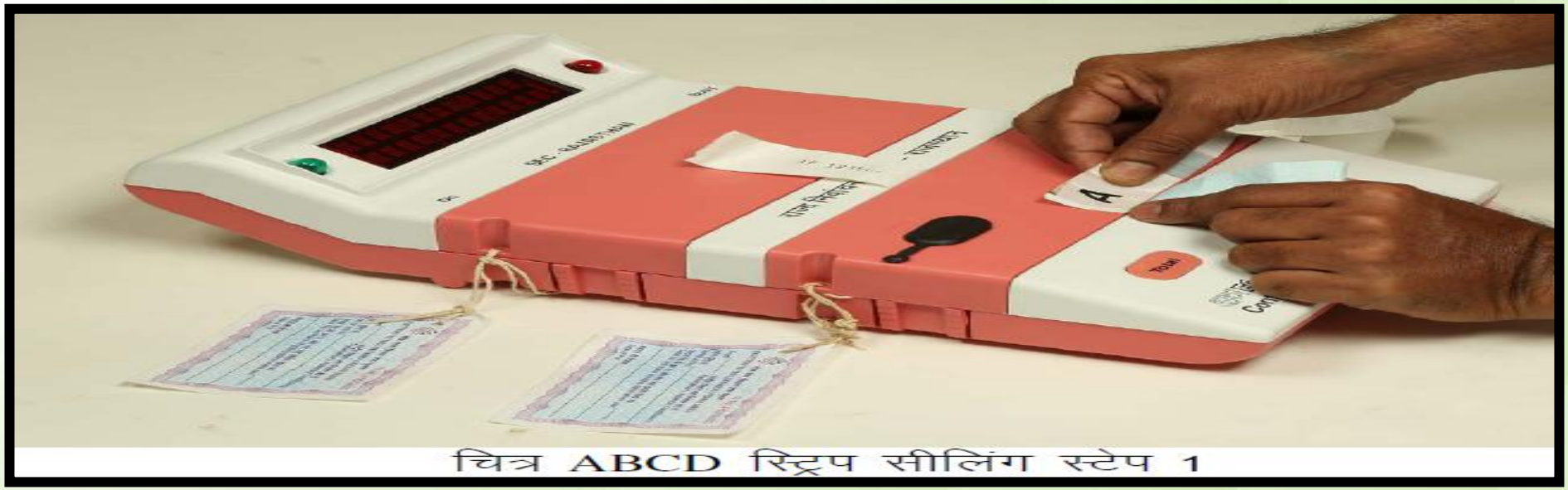
- प्रत्येक सील का विशिष्ट पहचान नम्बर होता है।
- स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार स्टीकर लगे हुऐ है, इनमें से A B D आन्तरिक परत पर तथा C स्टीकर बाहरी परत पर लगा होगा।



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 1

पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील के गोंद लगे हुए भाग ^A^ को रखे। ^A^ वाले भाग से वैक्स पेपर हटा कर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगेभागपर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 1

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप **2**:

अब स्ट्रिप सील के ***B*** के ऊपर के वेक्स पेपर को हटाकर इसे बांयी ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुइ पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएं।



चित्र **ABCD** स्ट्रिप सीलिंग स्टेप **2**

पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 3

अब स्ट्रिप सील का *C* भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। *C* का वेक्स पेपर हटाकर,परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे, पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस *C* भाग पर चिपका दें।



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 4

अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बांयी ओर से, सावधानी पूर्वक, क्लोज बटन की ऊपरी प्लास्टिक/रबर केप के नीचे से लेते हुए, स्ट्रिप सील के दूसरी सिरे को कंट्रोल यूनिट के दांहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएं।



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

स्टेप 5

अब “D” भाग के वेक्स पेपर को हटाकर उसे पिंक पेपर सील के ऊपर इस प्रकार चिपका दें कि सीरियल नंम्बर स्पष्ट रुप से दिखाई दे।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 5

निर्वाचक की पहचान का सत्यापन :–

1. आधार कार्ड,
2. विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/ मनरेगा कार्ड,
3. बैंको/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड,
5. ड्राइविगं लाइसेन्स,
6. पैन कार्ड,
7. भारतीय पासपोर्ट,
8. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
9. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,
10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और
11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं हो तो (आयोग के आदेशांक एफ.1 (2) (1)नपा–पंचा/सा.अ. /रानिआ/14/5310 दिनांक 30.07.2026 के द्वारा वैकल्पिक दस्तावेजों के द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है।

अपाहिज व अन्धे
मतदाताओं की सहायता

अन्धे, व अपाहिज मतदाताओं को उनके निवेदन पर मत कक्ष में जाकर उनकी इच्छानुसार मत अंकित कर देंगे।

मतदाता सूची में उस मतदाता के नाम के सामने दो अक्षर ''अ अ'' लिख दें (नियम 41)।

If an elector, owing to blindness or physical infirmity is unable, to record his vote in the manner laid down in rule 40, the Polling Officer shall do so according to the direction of the elector and fold it so as to conceal the vote and insert it into ballot box and make a brief note against the entry relating to such elector in the copy of voters list referred to in rule 39, the reason for such action.

अल्प आयु के प्रतीत होने वाले मतदाता के संबंध में प्रक्रिया :–

- यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, तो उसे मतदान का अधिकार है।
- यदि मतदाता की आयु प्रथम दृष्टया न्यूनतम निर्धारित आयु से कम प्रतीत होती है, लेकिन उसकी पहचान एवं निर्वाचक नामावली में नाम होने के संबंध में समाधान है, तो उससे परिशिष्ट–10 में आयु संबंधी घोषणा ली जाएगी।
- घोषणा लेने से पहले मतदाता को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18–क के तहत मिथ्या घोषणा के दण्डनीय प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
- जिन मतदाताओं से घोषणा प्राप्त की गई है, उनकी सूची परिशिष्ट–11 भाग–I में तैयार की जाएगी। जो मतदाता घोषणा देने से इनकार करके बिना मतदान किए चले जाते हैं, उनकी सूची परिशिष्ट–11 भाग–II में तैयार की जाएगी।
- मतदान समाप्ति के बाद परिशिष्ट–10 एवं परिशिष्ट–11 को जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य से संबंधित विविध कागजात के साथ लिफाफा PE–57 में रखा जाएगा।

परिशिष्ट–10

(निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप)

जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम कोटपुतली बहरोड़ 12/पाथटा 128
निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक वार्ड संख्या 28
मतदान बूथ की संख्या व नाम 121 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पाथटा

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 2009 की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रति–निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षण की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 क के दण्डात्मक उपबन्धों के बारे में जानकारी है। कैलाश कुमार

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
पिता/पति का नाम ...रविन्द्र कुमार.....
निर्वाचक नामावली का भाग28...
निर्वाचक की क्रम संख्या111.....

तारीख 11.10.2026

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा से घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किये। दिलकम सिंह शेखावत

121 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पाथटा
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
... मतदान बूथ की संख्या व नाम

तारीख 11.10.2026

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

परिशिष्ट–11

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

कोटपुतली बहरोड़ 12/पाथटा 128 जिला परिषद/पंचायत समिति के लिए निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक 28
मतदान बूथ की संख्या तथा नाम 121 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पाथटा

भाग – I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणायें प्राप्त की गई हैं।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1	कैलाश कुमार	28/111	18 वर्ष	18 वर्ष

भाग – II

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे अपनी आयु के संबंध में घोषणायें करने से इन्कार कर दिया है।

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में वार्ड संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा–निर्धारित आयु
1	2	3	4	5
1	मनोज कुमार	28/112	18 वर्ष	18 वर्ष

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

निविदत्त मतपत्र

यदि किसी निर्वाचक के नाम पर कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है, तो निर्वाचक की पहचान से संतुष्ट होने पर उसे निविदत्त मत देने की अनुमति दी जाएगी।

1.निविदत्त मतपत्र वही मुद्रित मतपत्र होगा, जो मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग होता है। पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पीछे हाथ से "निविदत्त मतपत्र" अंकित करेगा।

2. प्रारूप–13 में निर्वाचक का नाम एवं क्रम संख्या दर्ज कर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।

3. निर्वाचक को स्याही लगी **Arrow Cross Mark Seal** दी जाएगी।

4. निर्वाचक मतदान कक्ष में जाकर इच्छित अभ्यर्थी के प्रतीक पर **Arrow Cross Mark Seal** से मत अंकित करेगा।

5. मतपत्र मोड़कर मतदान कक्ष से बाहर आकर मतदान अधिकारी को सौंपेगा।

6. प्राप्त निविदत्त मतपत्र को निर्धारित निविदत्त मतपत्र लिफाफे में रखकर सील किया जाएगा।

□□ मुख्य बात

एक व्यक्ति के नाम पर पहले मतदान हो चुका हो + वास्तविक निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित हो = **Tendered Vote** की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य हेतु प्रयुक्त हेतु निविदत्त मतपत्र अलग अलग तैयार करना है, तथा प्रारूप–13 भी दोनों के लिए अलग अलग तैयार करना है

प्ररूप–13

(नियम 44क देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

कोटपूतली–बहरोड 12 पावटा 128.निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या 28 से जिला परिषद्/पंचायत समिति/पंचायत सर्किल के लिए निर्वाचन।

मतदान बूथ की संख्या और नाम..121 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,कारौली.

क्र.स	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में उन व्यक्तियों की क्रम संख्या जिन्होंने पहले ही निर्वाचक के स्थान पर मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी
1	सुनील कुमार	189	111	सुनील कुमार
2	अशोक कुमार	193	145	अशोक कुमार
3				
4				
इत्यादि				

विक्रम सिंह शेखावत

तारीख. 11.10.2026 पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान बन्द होने के समय उपस्थित मतदाताओं द्वारा मतदान

- मतदान बन्द होने के समय पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदाताओं में सभी को मत देने दिया जायेगा। इसके लिये पीठासीन अधिकारी उन्हें पर्चिया देगा। जो पीछे के छोर से प्रारम्भ करते हुये देगा।

मतों के लेखे (प्ररूप 14) के प्रति –

मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाये–

- प्ररूप–14 तैयार करना: मतदान अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किये गये कुल मतों का लेखा निर्धारित प्ररूप–14 में तैयार किया जायेगा।
- रिकॉर्ड से मिलान: प्ररूप–14 में दर्ज मतों का मतदाता रजिस्टर तथा चिन्हित मतदाता सूची में दर्ज विवरण से मिलान किया जायेगा, ताकि मतों के लेखे की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।
- मतदान अभिकर्ताओं को प्रति: मतदान केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप–14 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।
- प्रति लेने से इनकार: यदि कोई मतदान अभिकर्ता प्ररूप–14 की प्रति प्राप्त करने से इन्कार करता है, तो मतदान अधिकारी द्वारा अपनी घोषणा में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य हेतु प्रयुक्त हेतु प्रारूप–14 भी दोनों के लिए अलग अलग तैयार करना है

परिशिष्ट — 9

प्ररूप — 14 नमूना

(नियम—47 ग और 49 घ (6) देखिये)

भाग—1 अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जिला परिषद् / पंचायत समिति अथवा सरपंच / पंच का निर्वाचन

मतदान बूथ की संख्या और नाम — 121 राउमावि,कारौली

मतदान बूथ में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट 0002 अथवा जो प्रयुक्त की हो वह लिखें।

मशीन का पहचान संख्यांक मतदान यूनिट 0004 अथवा जो प्रयुक्त की हो वह लिखें। ...

1. मतदान बूथ को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 1020
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 815
3. नियम 43(क) के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चिय करने वाले मतदाताओं की संख्या 5
4. नियम 36क, 38क या 40 क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गए मतदाताओं की संख्या 3
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 807
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चिय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2—3—4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है। हॉ
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए 6
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या क्रम संख्या
 (क) उपयोग के लिए प्राप्त 0081 से 0100 तक
 (ख) निर्वाचकों को जारी किए गए 0081 से 0086 तक
 (ग) प्रयुक्त न किए और वापस लिए गए 0087 से 0100 तक
9. पत्र मुद्राओं का लेखा
 क्रम संख्या
 002567 से 002570 तक

	मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर
1. प्रदाय की गई पत्र मुद्राओं की क्रम संख्यांक	1
002567 से 002570 तक	2
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या 4	3
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 1 (002567)	4
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त सीलों की संख्या (मद 3 से मद 2 घटाइए) 3	5 6
5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है कोई नहीं	

विक्रम सिंह शेखावत

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

अंतिम मतदाता के मतदान के बाद मतदान समाप्ति की घोषणा करें और कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाएँ।

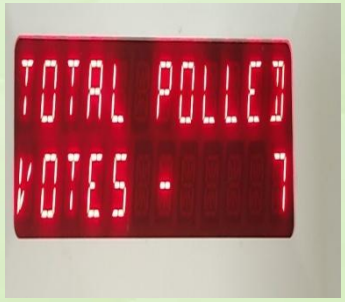




- **क्लोज बटन दबाने पर निम्न सूचना डिस्प्ले होगी**











मतदान समाप्ति के बाद की प्रक्रिया

1- **TOTAL** बटन दबाकर कुल पड़े मतों की संख्या देखें तथा अभिकर्ताओं को दिखाकर रजिस्टर–**12** से मिलान करें।

2- मतदाता रजिस्टर में अंतिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे कुल मतदान का प्रमाण–पत्र अंकित कर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाएँ।

3- कंट्रोल यूनिट को **OFF** करें और लिंकिंग केबल को दोनों ओर के लीवर दबाकर अलग करें।

4- कंट्रोल यूनिट का पिछला ढक्कन बंद करके धागे/चपड़ी से सील करें।

5- मशीन में दर्ज मतों का लेखा प्रारूप–**14** में तैयार कर उसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को दें तथा प्रपत्र–**7** भाग–**3** भरें।

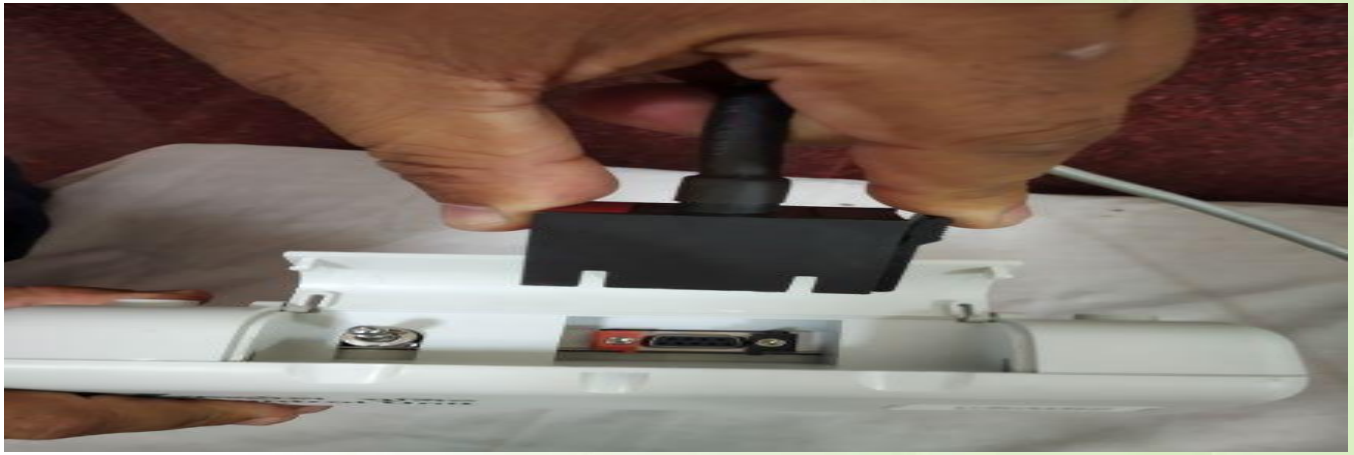
6- प्रत्येक कैरिंग बॉक्स को निर्धारित तरीके से सील कर एड्रेस टैग पर यूनिट का विवरण अंकित करें तथा पीठासीन अधिकारी की मोहर लगाएँ।

7- उपस्थित अभ्यर्थी/मतदान अभिकर्ता यदि अपनी मोहर लगाना चाहें तो उन्हें मोहर लगाने की अनुमति दें।

8- ऐसे अभ्यर्थी/अभिकर्ताओं के नाम प्रपत्र–**7** भाग–**3** में दर्ज करें।

9- महत्वपूर्णः मतदान समाप्ति के समय तक उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर दिया जाए।

मतदान समाप्ति







लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

जो सील करने है–

PE-42

1. चिन्हित मतदाता सूची

PE-43

2. मतदाता रजिस्टर

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

जो सील करने है–

PE-45

3.प्रयुक्त मतदाता पर्चियां
(पं.स. सदस्य)

PE-44

4.प्रयुक्त मतदाता
पर्चियां
(जि.प. सदस्य)

PE-45

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

जो सील करने है–

PE-45

5. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
(पं.स. सदस्य)

PE-46

6.प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
(जि.प. सदस्य)

PE-47

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

जो सील करने है–

PE-45

7. निविदत्त मतों की सूची
(पं.स. सदस्य)

PE-48

8. निविदत्त मतों की सूची
(जि.प. सदस्य)

PE-49

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

जो सील करने है–

PE-45

9. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
(पं.स. सदस्य)

PE-50

10. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
(जि.प. सदस्य)

PE-51

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

जो सील नहीं करने हैं–

PE-52

पीठासीन अधिकारी की डायरी (रिकार्ड किये गये मतो व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित)

PE-53

रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14)

(पं.स.. सदस्य)

PE-54

रिकार्ड किये गये मतों एव पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14)

(जि.प. सदस्य)

PE-55

पीठासीन अधिकारी की घोषणा

(पं.स. सदस्य)

PE-56

पीठासीन अधिकारी की घोषणा

(जि.प. सदस्य)

P-2

महिला–पुरूषवार मतदाताओं का सांख्यिकी आंकडों का लिफाफा

विविध कागजात PE.57

(i) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां,
(ii) अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग,
(iii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र,
(iv) मतदाता सूचियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न),
(v) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची,
(vi) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें
(vii) अन्य विविध निर्वाचन कागजात

Counter-1

क्रम संख्या	लिफाफा संख्या	लिफाफे में रखी सामग्री	वि.वि
1		**उपयोग में लाई गयी कन्ट्रोल यूनिट एवं मतदान यूनिट**	**सीलबंध**
2	**PE-52**	पीठासीन अधिकारी की डायरी (रिकार्ड किये गये मतो व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित)	**बिना सील**
3	**PE-53**	रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) **(पं.स.. सदस्य)**	**बिना सील**
4	**PE-54**	रिकार्ड किये गये मतों एव पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) **(जि.प. सदस्य)**	**बिना सील**
5	**PE-55**	पीठासीन अधिकारी की घोषणा **(पं.स. सदस्य)**	**बिना सील**
6	**PE-56**	पीठासीन अधिकारी की घोषणा (जि.प. सदस्य)	**बिना सील**
7	**P-2**	सांख्यिकी सूचना	**बिना सील**

Counter-2

कम संख्या	लिफाफा संख्या	लिफाफे में रखी सामग्री	वि.वि
1	PE-42	चिन्हित मतदाता सूची	सील बंध करने है।
2	PE-43	मतदाता रजिस्टर	सील बंध करने है।
3	PE-44	.प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (पं.स. सदस्य)	सील बंध करने है।
4	PE-45	प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (जि.प. सदस्य	सील बंध करने है।
5	PE-46	प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य)	सील बंध करने है।
6	PE-47	.प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य)	सील बंध करने है।
7	PE-48	निविदत्त मतों की सूची (पं.स. सदस्य)	सील बंध करने है।
8	PE-49	निविदत्त मतों की सूची (जि.प. सदस्य)	सील बंध करने है।
9	PE-50—51	अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) व (जि.प. सदस्य)	सील बंध करने है।

Counter-2

कम संख्या	लिफाफा संख्या	लिफाफे में रखी सामग्री	वि.वि
1	PE-57	अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां,	**बिना सील**
2		अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग	**बिना सील**
3		मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र	**बिना सील**
4		मतदाता सूचियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न)	**बिना सील**
5		मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची	**बिना सील**
6		अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें	**बिना सील**
7		अन्य विविध निर्वाचन कागजात	**बिना सील**

Counter-3

क्रम संख्या	जमा होने वाली साम्रगी	वि.वि
1	**पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील**	
2	**पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका**	
3	वोटिंग मशीन की निर्देशिका	
4	स्टाम्प पैड	
5	स्टाम्प पैड इंक	
6	अमिट स्याही की शीशी	
7	ऐरोक्रास माक्र सील	
8	मेटल रूल	
9	कपडे के पर्दे अथवा कार्ड–बोर्ड कम्पार्टमेंट	
10	सुभेदक चिन्ह की सीलें	
11	रबर सीलें केन्सिल	
12	अप्रयुक्त मतदान/कन्ट्रोल यूनिट	
13	केनवास बैग	
14	डमी बैलेट यूनिट	
15	अन्य कोई सामग्री जो दी गई है।	

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं
(जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये मतदान साथ–साथ होने पर)

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव दोनों के लिये	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये (नीले रंग में)	केवल जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये (पीले रंग में)
जो सील करने है– 1. चिन्हित मतदाता सूची, PE-42 2. मतदाता रजिस्टर, PE-43 **जो सील नहीं करने हैं–** 3. महिला–पुरुषवार मतदाताओं का सांख्यिकी आंकडों का लिफाफा, P-2 4. पीठासीन अधिकारी की डायरी (रिकार्ड किये गये मतो व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित) PE-52 5. विविध कागजात PE-57 (i) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां, (ii) अप्रयुक्त एड्रेस टैग व स्पेशल टैग, (iii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र, (iv) मतदाता सूचियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न), (v) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची, (vi) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें (vii) अन्य विविध निर्वाचन कागजात	**जो सील करने है–** 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (पं.स. सदस्य) PE-44 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) PE-46 3. निविदत्त मतों की सूची (पं.स. सदस्य) PE-48 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (पं.स. सदस्य) PE-50 **जो सील नहीं करने हैं–** 5. रिकार्ड किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) (पं.स. सदस्य) PE-53 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (पं.स. सदस्य) PE-55	**जो सील करने है–** 1. प्रयुक्त मतदाता पर्चियां (जि.प. सदस्य) PE-45 2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-47 3. निविदत्त मतों की सूची (जि.प. सदस्य) PE-49 4. अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-51 **जो सील नहीं करने हैं–** 5. रिकार्ड किये गये मतों एव पेपर सीलों का लेखा (प्ररूप–14) (जि.प. सदस्य) PE-54 6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (जि.प. सदस्य) PE-56

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

क्रम संख्या	परिशिष्ट	प्रारूप	उपयोग हेतु
1	परिशिष्ट – 7		पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणाएं
2	परिशिष्ट – 8		पीठासीन ऑफिसर (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी
3	परिशिष्ट – 9		अभिलिखित मतों का लेखा
4	परिशिष्ट–10		निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप
5	परिशिष्ट–11		आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची
6	परिशिष्ठ–12		लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं (जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये मतदान साथ–साथ होने पर)
7	परिशिष्ठ–13		मतदाता पर्ची
8	परिशिष्ट–14	नोटिस	पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन
9	परिशिष्ट–19)		प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र
10		प्ररूप–8	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप
11		प्ररूप–9	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप
12		प्ररूप–10	**गणन** अभिकर्ता की नियुक्ति का प्ररूप
13		प्ररूप –11	शपथ का प्ररूप
14		प्ररूप –12	**मतदाता रजिस्टर**
15		प्ररूप –13	**निविदत्त मतों की सूची**

परिशिष्ट – 7

(पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

पंचायत आम चुनाव 20.....

पंच/सरपंच/पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य का चुनाव

पंचायत का नाम कारौली..... वार्ड सं.29.....

जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम कोटपूतली–बहोड़ 12/..पापटा..128..... के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक128.....

मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम121,राउमावि,कारौली . मतदान की तारीख ..11.10.2026

मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा

भाग–1

मैं घोषणा करता हूँ कि–

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनायटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतपेटी खाली है।
2. मतपेटी की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।
3. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग
 में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है जो डाक मतपत्र और निर्वाचक डुप्लीकेट प्रमाण पत्रों के लिए प्रयुक्त किये गये हैं, और
4. मैंने मतदान अभिकर्ताओं को उन मतपत्रों के, जो मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाये जायेंगे, प्रथम और अन्तिम क्रम संख्यांक नोट करने की अनुमति दे दी है; और मतदान केन्द्र पर काम में लिये जाने वाले मतपत्रों के100..... बन्डलों को दिखा दिया है।

थिकन सिंह शेखावत
हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1.गणेश..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2.सुरेश..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3.मनमोहन..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4.रामचन्द्र..... (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. NIL (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. NIL (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. NIL (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख11.10.2026

थिकन सिंह शेखावत
हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

भाग–2

(बाद वाली मतपेटी/मतपेटियों के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि–

5. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग
 की जाने वाली दूसरी/तीसरी मतपेटी खाली है।
6. मतपेटी की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर मैंने अपने के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

थिकन सिंह शेखावत
हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी
मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. गणेश (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. सुरेश (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. मनमोहन (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. रामचन्द्र (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. NIL (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. NIL (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. NIL (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख .11.10.2026

थिकन सिंह शेखावत
हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

भाग–3

मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं के सामने मतपेटी मुहरबन्द की और उनको अनुज्ञात कराया कि यदि वे अपनी मुहर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं।

दिनांक 11.10.2026

थिकन सिंह शेखावत
हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

1. गणेश (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. सुरेश (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. मनमोहन (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. रामचन्द्र (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

दिनांक 11.10.2026

थिकन सिंह शेखावत
हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

परिशिष्ट – 8
पीठासीन ऑफिसर (प्रिसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

(1) जिला परिषद् का नाम व कोटपूतली–बहोड़ 12
निर्वाचन क्षेत्र सं.

(2) पंचायत समिति का नाम व पाचटा 128
निर्वाचन क्षेत्र सं. ..

(3) मतदान की तारीख 11.10.2026

(4) मतदान बूथ का नम्बर व नाम 121 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,कारोली

(5) मतदान मशीन

(1) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिट की सं. — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 01; 2. पं. स. सदस्य/पंच 00 — यदि एम–3 मशीन काम में ली जा रही है तो उसकी संख्या लिखें।

(2) उपयोग में ली गयी कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच CU1234; 2. पं. स. सदस्य/पंच 00 यदि एम–3 मशीन काम में ली जा रही है तो उसका नॅबर लिखें।

(3) उपयोग में ली गयी बैलट यूनिटों की सं — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 01; 2. पं. स. सदस्य/पंच 01

(4) उपयोग में ली गयी बैलट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच BU1234; 2. पं. स. सदस्य/पंच BU5678

(6) (1) उपयोग में लाई गई पेपर सीलों का क्रमांक — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 1234 से 3456; 2. पं. स. सदस्य/पंच 1122 से 1232

(2) उपयोग में लाई गई स्ट्रीप सील का क्रमांक — 1. जि.प. सदस्य/सरपंच 1234; 2. पं. स. सदस्य/पंच 1122

(7) मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो जो विलम्ब से आये हों उनकी संख्या — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 02; 2. पं. स. सदस्य/पंच 02

(8) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किये हैं — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 04; 2. पं. स. सदस्य/पंच 04

(9) (1) मतदान बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या — 1020

(2) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात किये गये मतदाताओं की संख्या — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच 1020; 2. पं. स. सदस्य/पंच 1020

(3) मतदाता पंजिका (प्ररूप 14 क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया — 815

(4) मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या — 807

प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर — मतदाता पंजिका के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

(10) निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया :– पुरूष ...500.....महिला.....307.....योग 807

(11) निर्वाचित (टेन्डर्ड) मतों की कुल संख्या — 1 जि.प. सदस्य/सरपंच03.....; 2. पं. स. सदस्य/पंच03.....

(12) निर्वाचकों की संख्या :–

(क) जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की —06.....

(ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा से इन्कार किया —02.....

(13) निर्वाचकों की

(क) जिनकी फोटो मतदाता पहचान पत्र से पहचान की गई —600.....

(ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों से पहचान की गई —207.....

(14) मतदान करने वाले दृष्टि हीन मतदाताओं की संख्या जिनकी नियम 41–क में सहायता की गई। —08.....

(15) क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ? यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण —नहीं.....

(16) डाले गये मतों की संख्या :

(क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक —200.....

(ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे मध्यान्ह तक —200.....

(ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक —200.....

(घ) 3 बजे अपरान्ह से मतदान समाप्त होने तक — 207

(17) मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय पर दी गई पर्चियां (रिलप्स की संख्या) —00 यदि आपने रिलप्स दी हो तो उनकी संख्या लिखें।

(18) ब्यौरा सहित निर्वाचन अपराध निम्नलिखित मामलों की संख्या

(क) मतदान बूथ से 100 मीटर की दूरी के भीतर मत सम्प्रेक्षण — नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(ड) मतदाताओं द्वारा रूप–धारण (Impersonation) किया जाना .. नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(ग) मतदान बूथ पर किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज का कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(ङ) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तियों) को भयभीत करना

(च) बूथ कैप्चरिंग नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(19) यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न अथवा बाधा . नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें। उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाय :–

(क) बलपूर्वक या खुली हिंसा नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(ख) बूथ कैप्चरिंग नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(ग) मतदान मशीन का असफल होना नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(घ) अन्य कोई कारण नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(20) क्या मतदान बूथ पर उपयोग में ली गई किसी मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें। गया :–

(क) पीठासीन ऑफिसर की . अभिरक्षा से अवैधानिक रूप से छीनकर

(ख) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गड़बड़ी की गई यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय। नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(21) अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(22) विधि तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(23) मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियां तथा अनियमितताओं .. का पूर्ण विवरण नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(24) क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक हैं घोषणाएं की हैं ? नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।

(25) अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण नहीं यदि कोई हो तो उसका विवरण लिखें।.....

(मॉकपोल प्रमाण–पत्र संबंधित मॉक पोल के बाद तथा वास्तविक मतदान से पूर्व मशीन में से सभी मत बिलकुल कर दिये गये हैं।

विवरण)

स्थान ...121 राजमाणि कारौली...

तारीख.....11.10.2026.

विक्रम सिंह शेखावत
पीठासन अधिकारी (प्रिसाइडिंग ऑफिसर)
के हस्ताक्षर

नोट :– (1) इस प्ररूप में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहिये।

(2) यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सीलड पेपर के साथ रिटार्निंग ऑफिसर को प्रेषित करें।

(3) दोनों चुनावों की प्ररूप – 14 की पृथक–पृथक एक–एक प्रति भी संलग्न करें।

(4) पीठासीन अधिकारी की डायरी PS तथा ZP चुनाव के लिए एक ही होगी। इसी प्रकार पंच एवं सरपंच चुनाव के लिए भी एक ही डायरी होगी।

परिशिष्ट – 9

प्ररूप – 14 नमूना

(नियम–47 ग और 49 घ (6) देखिये)

भाग–1 अभिलिखित मतों का लेखा

निर्वाचन क्षेत्र संख्या से जिला परिषद/पंचायत समिति अथवा सरपंच/पंच का निर्वाचन

मतदान बूथ की संख्या और नाम – 121 राउमावि,कारौली

मतदान बूथ में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट 0002 अथवा जो प्रयुक्त की हो वह लिखें।

मशीन का पहचान संख्यांक मतदान यूनिट 0004 अथवा जो प्रयुक्त की हो वह लिखें। ...

1. मतदान बूथ को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या 1020
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या 815
3. नियम 43(क) के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 5
4. नियम 36क, 38क या 40 क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गए मतदाताओं की संख्या 3
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 807
6. वह मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के हाँ मेल करती है सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा–मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2–3–4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है। हाँ
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निर्दिष्ट मतपत्र जारी किए गए 6
8. निर्दिष्ट मतपत्रों की संख्या क्रम संख्या
 (क) उपयोग के लिए प्राप्त 0081 से 0100 तक
 (ख) निर्वाचकों को जारी किए गए 0081 से 0086 तक
 (ग) प्रयुक्त न किए और वापस लिए गए 0087 से 0100 तक
9. पत्र मुद्राओं का लेखा
 क्रम संख्या
 002567 से 002570 तक

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गई पत्र मुद्राओं की क्रम संख्यांक	1
002567 से 002570 तक	2
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या 4	3
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 1 (002567)	4
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त सीलों की संख्या	5
(मद 3 से मद 2 घटाइए) 3	6

5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है कोई नहीं

विक्रम सिंह शेखावत

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

तारीख 11.10.2026 पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान कारौली मतदान बूथ संख्या 15

भाग – 2 मतगणना का परिणाम

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या

यथा ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद सं. 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों भागों में कोई फर्क दर्शित होता है।

.....हाँ, मेल करती है

.....

स्थान प. फ. म
तारीख 3.4.5.

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम पूर्ण हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.....

.....

स्थान
तारीख रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

परिशिष्ट–12

(देखें अध्याय 3 का पैरा (11) 6)

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने है

(जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य दोनों के लिये मतदान साथ–साथ होने पर)

पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य चुनाव दोनों के लिये	केवल पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये (पीले रंग में)	केवल जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिये (पीले रंग में)
जो सील करने है–	जो सील करने है–	जो सील करने है–
1. चिन्हित मतदाता सूची, PE-42	1. संयुक्त मतदाता पर्चियां (प.स. सदस्य) PE-44	1. संयुक्त मतदाता पर्चियां (जि.प. सदस्य) PE-45
2. मतदाता रजिस्टर, PE-43	2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (प.स. सदस्य) PE-46	2. प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-47
जो सील नहीं करने है–	3. निविदत्त मतों की सूची (प.स. सदस्य) PE-48	3. निविदत्त मतों की सूची (जि.प. सदस्य) PE-49
3. महिला–पुरुषवार मतदाताओं का स्थानीयवार आंकड़ों का विवरण, P-2	4. अप्रयुक्त निर्दिदत्त मतपत्र (प.स. सदस्य) PE-50	4. अप्रयुक्त निर्दिदत्त मतपत्र (जि.प. सदस्य) PE-51
4. पीठासीन अधिकारी की डायरी (निकाई किये गये मतों व पेपर सीलों के लेखे की एक प्रति सहित) PE-52	जो सील नहीं करने है–	जो सील नहीं करने है–
5. विविध भागपत्रक PE-57	5. निकाई किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्रकरण–14) (प.स. सदस्य) PE-53	5. निकाई किये गये मतों एवं पेपर सीलों का लेखा (प्रकरण–14) (जि.प. सदस्य) PE-54
(i) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियां,	6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (प.स. सदस्य) PE-55	6. पीठासीन अधिकारी की घोषणा (जि.प. सदस्य) PE-56
(ii) अप्रयुक्त पुड़ाल टैग व रबरबैंड टैग,		
(iii) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र,		
(iv) मतदाता सूचियां (विशिष्ट मतदाता सूची से भिन्न),		
(v) मतदानकर्मी की डायु सम्बन्धी प्रावधान व सूची,		
(vi) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्टिकर सीलें		
(vii) अन्य विविध निर्वाचन सामग्री		

परिशिष्ट–13

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं.

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं.

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

नोटः– जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिए पीली मतदाता पर्ची तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिये नीली मतदाता पर्ची सरपंच चुनाव के लिए सफेद पर्ची तथा पंच चुनाव के लिए गुलाबी पर्ची प्रयोग में ली जायेंगी।

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

(परिशिष्ट–14)

नोटिस

पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन

1. पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम
2. पंचायत समिति/जिला परिषद् निर्वाचन क्षेत्र संख्या
3. पंचायत सर्किल का नाम
4. बूथ का विवरण (वार्ड संख्या लिखें)
5. कुल मतदाता

रिटर्निंग अधिकारी

मनीष कुमार गोयल प्रधानाचार्य एवं SLMT – 9928012538
(जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य 2026)

(परिशिष्ट–19)

प्रारूप मॉकपोल प्रमाण पत्र

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य अथवा सरपंच/पंच चुनाव

क्र.सं	मॉकपोल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपोल वोटर पर्ची क्रमांक	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है) जिला परिषद् सदस्य/सरपंच के लिए	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है) पंचायत समिति सदस्य/पंच के लिए	हस्ताक्षर
1	कैलाश चन्द्र	1	1	1	कैलाश चन्द्र
2	मनोज कंमार	2	2	2	मनोज कंमार
3	मनीष कुमार	3	3	3	मनीष कुमार
4	सन्तोष प्रसाद	4	4	4	सन्तोष प्रसाद
5	अकरम	5	5	5	अकरम

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल के अनुसार मॉकपोल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कण्ट्रोल यूनिट से Result-I बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।

मॉकपोल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है।

विक्रम सिंह शेखावत
(पीठासीन अधिकारी)
हस्ताक्षर

नोट:– दोनों चुनावों के लिए अलग–अलग मॉकपोल प्रमाण–पत्र प्रारूप (परिशिष्ट–19) को तैयार कर पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं (परिशिष्ट–7) के साथ संलग्न कर जिला परिषद् सदस्य के लिए लिफाफा नं. (PE-56) में तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए लिफाफा नं. (PE-55) में तथा इसी प्रकार सरपंच का लिफाफा (PE-56A) एवं पंच का लिफाफा (PE-55A) रखें। यदि MPSV मॉडल की मशीन का उपयोग किया गया है, तो एक ही प्रमाण–पत्र में दोनों चुनावों अर्थात् जिला परिषद् एवं पंचायत समिति अथवा सरपंच एंव पंच का मॉकपोल विवरण दर्शाया जायेगा।

प्ररूप–12
(नियम 40क देखिए)
मतदाता रजिस्टर

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत वृत्त पायटा के लिए निर्वाचन।
निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या 128/29 जिला परिषद/कोटपूतली–बहरोड़ 12
मतदान बूथ की संख्या व नाम...121 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारौली

क्र.सं	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी	अभ्युक्तियां
1	111	मुरलू गोयल	
2	112	घिसिर गोयल	
3	156	अंकित कुमार	
4	145	सपना कुमारी	
इत्यादि			

विक्रम सिंह शेखावत
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

विशेष अनुरोध

नोट– यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उदेश्य से तैयार की गई है किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम, नियम एवं राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहे तथा रिटर्निंग अधिकारी के तात्कालिक दिशा–निर्देशों के अधीन अपना कार्य सम्पादित करें।

Manish Kumar Goyal
SLMT(JAIPUR)
9928012538

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मेरा वोट
मेरी ताकत
मेरा राजस्थान



धन्यवाद

आपके सहयोग और विश्वास के लिए

हार्दिक आभार !

लोकतंत्र की इस पवित्र प्रक्रिया में
आपके सहयोग ने हमें और अधिक सक्षम बनाया है।



जागरूक
मतदाता
सशक्त
राजस्थान





मनीष कुमार गोयल
(SLMT)
9928012538